दैनिक न्याय साक्षी

दूध व राशन की डिलीवरी करने वाले विक्रेताओं की संख्या भी बढ़ाई गई

» अब सब्जियों की भी होगी होम डिलीवरी » कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश पर बनी व्यवस्था » सुबह 05 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच होगी डिलीवरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश पर लॉक डाउन के दौरान शहर में अब सब्जियों की होम डिलीवरी भी चालू की जा रही है। इसके लिए नगर निगम आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने सब्जी विक्रेताओं को क्षेत्र व वार्डों के अनुसार अधिकृत करते हुए पहचान पत्र जारी किया हैं। इसके अतिरिक्त दवाइयों, फल व आटा के कुछ विक्रेताओं को भी डिलीवरी के लिए अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही पहले से हो रहे राशन व दूध की होम डिलीवरी का दायरा बढ़ाते हुए अन्य विक्रेताओं को भी इसमें जोड़ा गया है। होम डिलीवरी का कार्य सुबह 05 से दोपहर 12 बजे के बीच होगा। सभी विक्रेताओं के लिए उनके व्यवसाय के इलाकों के अनुसार क्षेत्र व वार्ड निर्धारित कर दिए गए हैं। जिन वाहनों के द्वारा डिलीवरी की जाएगी उसके लिए भी पास जारी किए गए हैं। शहर के लोग अपने क्षेत्र के विक्रेताओं के जारी किए गए नंबर पर कॉल कर सामान की डिलीवरी करा सकते है।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने कहा कि लॉक डाउन में लोगों तक रोजमर्रा की जरूरत का सामान पहुंचाने तथा लॉक डाउन में ढील के दौरान भीड़ कम हो इसलिए यह व्यवस्था बनाई

गई है। लोगों से अपील है कि यथा संभव होम डिलीवरी के माध्यम से सामान मंगवाएं, घर से निकलने व भीड़ में जाने से बचें। जिससे कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए लगाए गए लॉक डाउन का उद्देश्य पूर्ण हो और संक्रमण प्रसार की संभावनाओं को क्षीण करते हुए खतम किया जा सके।

सब्जी विक्रेताओं की सूची

वार्ड नं.14 पूछापारा-लखपति काहिरा बुकिंग हेतु मोबा.नंबर 9926950702, वार्ड नं.30 मौदहापारा- राजेश्वर बरेठ- 7477041212, वार्ड नं.31 जूटमिल- अमरजीत साहू 9826157432, वार्ड नं.4 जगतपुर में ननकी राम भारती- 8827465104, मनीष कुमार- 9399971853 एवं श्याम काटजू- 9926148955, वार्ड नं.22 में कैलाश छबलानी-9770131313, वार्ड नं.3 रामभांठा में मनोज कुमार टंडन-9981891429 एवं सनुज टंडन-9752969287, वार्ड नं.30 मौदहापारा में धन्नु बरेठ- 9039788338, वार्ड नं.31 जूटमिल में रोशन कुमार साहू 9826157432, बोईरदादर कृष्णवाटिका में हरिहर साहू- 8815665940, वार्ड नं.20 तुर्कापारा में भुवनेश्वर देवांगन- 8319741393 एवं भरत लाल देवांगन-8305890658, राजापारा में वेदपती पटेल-8827975573, भजनडीपा से बैकुण्ठपुर में सुनील पटेल-8839182058, बंगलापारा में गजानन साव-9165618011, बांजीनपाली से टीवी टॉवर तक अनिल कुमार साव- 8839222309, शहीद चौक में नरेश साहू-9981638169 एवं 9131543004, नया गंज कोष्टापारा में रवि देवांगन-8120856626, शिवानगर केवड़ाबाड़ी में सोनू शुकला-7024677607, भक्तिनडीपा नवापारा में दयाराम साहू- 9770050735, राजीव गांधी नगर में सुखीलाल साहू-7024107324, चांदनी चौक में मोहम्मद तवरेज- 7724050999 एवं मोहम्मद हसन- 6267398979, शिवानगर बस स्टैण्ड में खुशीराम साहू- 9993535258, बंगलापारा में आशीष चौहान-9131445192, इंदिरा नगर रायगढ़ में सलमान खान- 7999753467 एवं इमरान कुरैसी- 9109791115, वार्ड क्र.21, 22 एवं 23 में सनत कुमार शुक्ला एवं रतन चौहान-9424180057, वार्ड नं.22 एवं 23 में राजकुमार जायसवाल-7000373335, हेमन्त जायसवाल-7000375158, धनीराम साहू-8085475696 एवं योगेश जायसवाल-9753300673, फ्रैण्डस कालोनी, पार्क एवेन्यू एवं कृष्णा बिहार कालोनी रायगढ़ में नीरज सिंह-7869000927 एवं मुकेश कुमार सिंह-7000209144, इंदिरा नगर देवारपारा रायगढ़ में धनादास महंत-9685522717 शामिल है।

राशन विक्रेताओं की सूची

वार्ड नं.32 जूटमिल मेन रोड लोचन प्रसाद दुबे-6265610847, सुरेन्द्र कुमार कुलदीप- 7987261041, हेमसागर अग्रवाल-9827116865 एवं सुमीत चौहान-6266562208, वार्ड नं.32 फटहामुड़ा में ब्रम्हदत्त शर्मा-8319037005, केलो विहार में बंटी जायसवाल- 8962798870, इंदिरा नगर रायगढ़ में राकेश कुमार यादव- 9425575648, कोष्टापारा पैलेस रोड में रामजी लाल देवांगन- 8717853397, राहुल देवांगन- 9630471005 एवं अरविन्द देवांगन-9300720093, तेलीपारा चांदनी चौक में गोविन्द साहू- 7000385304 एवं राम गोपाल साहू-9301145100, केवड़ाबाड़ी बस स्टैण्ड में राकेश साहू- 7000221478, शिवानगर बस स्टैण्ड में विजय साहू- 9993775075, नया गंज गुरूनानक रोड में भूषण देवांगन- 9131574233, बंगलापारा रायगढ़ में-9301385218 एवं दरोगापारा रायगढ़ में शारदा गहलौत किराना- 9926149984 शामिल है।

दुध विक्रेताओं की सूची

बैकुण्ठपुर सत्तीगुड़ी चौक में कामधेनु डेयरी से रवि दीक्षित, हर्ष निषाद एवं दीपम देवता- 700491123, बस डिपो रायगढ़ में अभिषेक सिंह ठाकुर- 9303869777, सत्तीगुड़ी चौक में पुरूषोत्तम पटेल-9826752906, वार्ड नं. 14 में सुरेश अग्रवाल- 9691463689, शिवानगर बस स्टैण्ड में राहुल साहू- 7000091210, वार्ड क्रमांक 5 एवं 6 में संतोष कुमार गुप्ता एवं मनीष कुमार गुप्ता-9752856634 शामिल है।

आटा चक्की की सूची

सोनारपारा भक्तिगली में नामदेव आटा चक्की सदानंद नामदेव- 9826752929, राजू बेहरा एवं सागर थवाईत-7987456303 शामिल है।

दवा विक्रेताओं की सूची

रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र भवानी मेडिकल स्टोर राजेश शर्मा, रामचरण आदित्य, अमरजीत महंत एवं तेजस्वी शर्मा-9993819371 एवं सिविल लाईन कलेक्टर बंगला के सामने सिटी केमिस्ट प्रशांत ठाकुर- 8319501704, 07762- 222402 शामिल है।

फल विक्रेताओं की सूची

वार्ड क्रमांक 7 लक्ष्मीपुर शेख नियाजुद्दीन, सदरूद्दीन एवं सिराजुद्दीन-9039961074 एवं 9039810484 शामिल है।

जिले में विदेश से आये 209 में से 186 यात्री होम आईसोलेशन में

» अन्य राज्यों से आये 6092 में से 5676 यात्री भी हैं शामिल

» जिले में आज तक कोई भी कोरोना के पाजिटिव मरीज नहीं

» स्वास्थ्य विभाग कर रहा है इनकी नियमित मॉनिटरिंग

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 01 जनवरी 2020 के बाद विदेशों से कुल 209 यात्री आये हैं जिसमें से 186 यात्रियों का होम आईसोलेशन एवं क्वारेंटाईन की अवधि 28 दिवस पूर्ण हो चुका है। शेष 23 यात्रियों को होम आईसोलेशन में रखा गया है। इनके घरों के आस-पास 50 घरों का कम्यूनिटी सर्वेलेंस किया गया है एवं सतत् निगरानी रखी जा रही है।

जिले में अन्य राज्य से अब तक कुल 6092 यात्री आये हैं जिसमें से 360 यात्रियों का होम आईसोलेशन की अवधि 28 दिवस पूर्ण हो चुका है। शेष 5676 यात्रियों को होम आईसोलेशन में रखा गया है एवं सतत् निगरानी की जा रही है। जिले में कुल 128 व्यक्तियों का सेम्पल संग्रहण कर जांच हेतु भेजा गया है। जिसमें से 126 व्यक्तियों का रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुआ है। शेष 2 का रिपोर्ट अप्राप्त है। वर्तमान में जिले में किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 बीमारी के लक्षण नहीं पाये गये है एवं आज दिनांक तक कोई भी कोविड-19 के पॉजिटीव मरीज नहीं है। जिले के सभी निवासियों से अपील है कि लॉकडाउन को सफल बनाएं एवं सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करें तभी इसके प्रसार को नियंत्रित किया जा सकेगा। जिले में यदि ऐसे किसी भी प्रवासी व्यक्ति की जानकारी उन्हें प्राप्त होती है, तो टोल फ्री नम्बर 104 पर एवं अंतर्विभागीय समन्वय हेतु दोनों नम्बर 9589356700 तथा 9981811582 पर एवं जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल सूचना देवें। कोरोना संक्रमण के विरूद्ध लड़ाई में प्रशासन का सहयोग करें और अफवाहों से दूर रहें।

उद्यानिकी कृषकों को खरीफ2019 में बीमा दावा राशि का होगा भुगतान

रायपुर (आरएनएस)। उपसंचालक उद्यानिकी रायपुर नारायणसिंह लावत्रे ने बताया कि रायपुर जिले में संचालित पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2019 में 58 बीमित कृषकों को 10.075 लाख रुपए के बीमा दावा राशि का भुगतान बीमा कंपनी बजाज एलयांस जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा सीधे उनके खाते में किया जा रहा है। इस योजना के तहत 87 कृषकों के द्वारा 51.160 हेक्टेयर रकबे में लगें अधिसूचित उद्यानिकी फ सलों (टमाटर, बैगन, अमरूद,केला,पपीता,मिर्च एवं अदरक) का बीमा कराया गया था।

स्वास्थ्य मिशन की कार्यकर्ताओं ने 1180 घरों में पीलिया के 90 संक्रमितों की पहचान की

रायपुर (आरएनएस)। शहरी स्वास्थ्य मिशन की स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने 1180 घरो में पीलिया के 90 लोगो की खोज करी। रायपुर में दूषित पयेजल से फैला पीलिया की पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों घर घर भ्रमण कर मरीजो को खोज रहे है। आमापारा, मंगल बाज़ार, चंगोराभाठा, अटारी, मठपुरेना में जल जनित संकर्मण है। जिससे अभी तक 193 की धनात्मक रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज और हमर लैब से प्राप्त हुए है।

सोमवार को स्वास्थ्य के कर्मचारियों ने घर घर भ्रमण किया। शहर के आम जनता को स्वच्छ पेयजल के लिए स्वास्थय शिक्षा दी। शहर में आज छ स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों मैं 170 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जाँच करवायी। घर घर भ्रमण और शिविरों में 90 लोगों में पीलिया के लक्षण पाये गए। संभावितों के रक्त परिक्षण के लिए सभी के सैंपल परिक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज और हमर लैब भेजा गया है।

सोमवार को संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाये रायपुर संभाग डॉ सुभाष पाण्डेय ने अटारी हीरापुर का दौरा किया और चिकित्सक दल को सभी पीड़ित मरीजो को स्वास्थ्य सलाह देने के निर्देश दिए गए। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोखोपारा में ईलाज की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण मैं स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अवश्यक निर्देश दिए गए।

5 हजार से अधिक लोगों को रखा गया है होम क्वॉरेंटाइन में

» जिले से 05 हजार से 08 तक अनुमानित ग्रामीण मजदूरों का पलायन चिंताजनक

बीजापुर (आरएनएस)। जिले में 05 हजार 03 सौ से अधिक लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। होम क्वॉरेंटाइन में रखे जाने की सबसे बड़ी संख्या बीजापुर जिले में सामने आ रही है, इसका मुख्य कारण बीजापुर जिले के ग्रामीणों के द्वारा मजदूरी के लिए हैदराबाद तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे सीमावर्ती राज्यों में चले जाते हैं। पूरे देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉक डाउन के बाद बीजापुर के ग्रामीण मजदूर मजबूरन अपने ग्राम वापस पहुंचने लगे जिससे चलते बीजापुर जिले में होम क्वॉरेंटाइन में 05 हजार 03 सौ ग्रामीणों को रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि बीजापुर जिला नक्सल प्रभावित संवेदनशील जिला माना जाता है। यहां नक्सलवाद के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार का कितना बड़ा अभाव है, इसका सहज अनुमान इसी से लगाया जा सकता है की 05 हजार 03 सौ स्थानिय ग्रामीण मजदूरों को होम आइसोलेशन में रख गया है। होम क्वॉरेंटाइन में रखना प्रशासन की मजबूरी है, लेकिन यह सुखद है कि अब तक हैदराबाद-तेलंगाना और महाराष्ट्र से वापस लौटे ग्रामीण मजदूरों में कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। यदि इन मजदूरों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पॉजिटिव रिपोर्ट मिल जाती तो इस पिछड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में जनहानि से इंकार नहीं किया जा सकता था। पड़ोसी राज्य तेलंगाना के एटुनगरम बस्ती में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर से बीजापुर जिले में खतरे की घंटी बज गई है। जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र से किसी को भी छत्तीसगढ़ में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। कोरोना संक्रमण को लेकर ग्रामीणों की जागरूकता बस्तर संभाग को बचाए हुए है।

गौरतलब है कि बीजापुर जिले से 05 हजार 03 सौ से अधिक ग्रामीण मजदूरों का पलायन होना चिंताजनक है। यहां यह भी बताया जाना आवश्यक है कि बीजापुर जिले के 05 हजार 03 सौ स्थानिय ग्रामीण मजदूरों के वापस लौटने का आंकड़ा प्रशासन के पास है। लेकिन कितने और मजदूर जो कि वापस नहीं लौटे हैं इसकी कोई जानकारी प्रशासन के पास नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक जिले से 05 हजार से 08 तक ग्रामीण मजदूरों का पलायन प्रति वर्ष हो रहा है, इस विषय पर राज्य शासन को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

पहाड़ी कोरवाओं के बन गए एपीएल कार्ड

कोरबा (आरएनएस)। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र अति पिछड़ी व संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा बीपीएल से एपीएल बन गए हैं। रामपुर विधायक ननकीराम कंवर जब कोरबा ब्लॉक के बड़गांव, अरसेना व नकिया पंचायत के पहाड़ी कोरवाओं से मिलने पहुंचे तो इसका खुलासा हुआ। पहाड़ी कोरवाओं का कहना है कि न तो हमारे पास खेती की जमीन है और न ही गांव में पक्का मकान है। इसके बाद भी एपीएल कार्ड से 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल खरीदना पड़ रहा है। इस पर विधायक ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लॉक डाउन के कारण कई क्षेत्रों के ग्रामीणों को राशन नहीं मिल पा रहा है। काम बंद होने से पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले पहाड़ी कोरवाओं की समस्या और भी बढ़ गई है।

प्रदेश में वन विभाग आगामी बरसात में रोपेगा सात करोड़ पौधे

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश में वन विभाग द्वारा विभिन्न मद के अंतर्गत आगामी वर्षा ऋतु में 6 करोड़ 99 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के सही ढंग से संचालन के लिए वन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा विगत दिवस राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में वन विभाग के अधिकाारियों की बैठक ली। उन्होंने इसमें अधिकारियों को वृक्षारोपण के लिए पौधों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में सख्त निर्देश दिए। साथ ही वृक्षारोपण के पूर्व हर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। वन मंत्री अकबर ने वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम के सही ढंग से संचालन के लिए मदवार विभागीय, छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) और मनरेगा आदि के तहत अलग-अलग पौधरोपण की व्यवस्था के संबंध में विस्तार से समीक्षा की। साथ ही वन क्षेत्रों में

नदी-नालों के संरक्षण, संवर्धन तथा भूमि कटाव को रोकने के लिए नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम की भी समीक्षा की। वन मंत्री श्री अकबर ने इनमें वन्य प्राणियों के रहवास सुधार की दृष्टि से नियमानुसार 10 प्रतिशत आम, जामुन, नीम, करंज, आंवला तथा ईमली आदि फलदार प्रजाति के पौधों का रोपण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बैठक के दौरान ही रायगढ़, गरियाबंद तथा कोरिया के वनमण्डलाधिकारियों को दूरभाष से औचक फोन लगाकर वहां के नर्सरी में वृक्षारोपण के लिए पौधों के वास्तविक आंकलन तथा उपब्लधता के संबंध में जानकारी भी ली।

वन मंत्री अकबर ने इनमें संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त की और वन विभाग के उच्चाधिकारियों को राज्य के प्रत्येक वनमण्डल स्थित नर्सरियों में वृक्षारोपण के अनुरूप पौधों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में सख्त निर्देश दिए। साथ ही वनमण्डलवार वृक्षारोपण से पूर्व वहां उपलब्ध पौधों का वास्तविक आंकलन कर सही-सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, सचिव जयसिंह म्हस्के, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) अतुल कुमार शुक्ल, कैम्पा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व्ही. श्रीनिवास राव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरूण पाण्डेय तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के. मुरगन सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

महत्वपूर्ण एवं खास

निजी विद्यालयों में आरटीई से प्रवेश हेतु आवेदन तिथि अगले आदेश तक बढ़ाई गई

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण से बचाव हेतु राज्य में लॉकडाउन होने के कारण विद्यालय आगामी आदेश पर्यन्त बंद है। निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत शाला में प्रवेश हेतु दी गई समय सारणी अनुसार आवेदन के प्रथम चरण की तिथि 15 अप्रैल 2020 घोषित की गई थी। वर्तमान में लॉकडाउन समाप्त नहीं किया गया है। अतएव निजी विद्यालयों में आरटीई एक्ट के प्रावधान के अनुसार पोर्टल के माध्यम से प्रवेश हेतु तिथि आगामी आदेश तक बढ़ाई जा रही है। इस संबंध में पोर्टल द्वारा किए जाने वाली प्रथम लाटरी की तिथि, पृथक से अवगत करायी जाएगी।

हथियार लेकर घूम रहे दो गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले गोविंद सिंह राजपूत सोयल साहू के कब्जे से पुलिस ने बोलेरो वाहन में धारदार हथियार जप्त किया है। दोनों युवक गाड़ी में अवैध रूप से हथियार लेकर घूम रहे थे। जब इसकी सूचना नगर कोतवाल दुर्गेश शर्मा को लगी तो उन्होंने उनकी गाड़ी को रोककर तलाशी ली, जहां उनके कब्जे से अवैध रूप से हथियार जप्त किया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ धारा 188 269 270 271 व 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

युवती से किया शारीरिक दुष्कर्म, मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। देश एवं प्रदेश में आये दिन कम उम्र की किशोरियों एवं युवतियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार घट रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कड़े कानून बनाए जाने के बावजूद भी अनाचारियों द्वारा दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। टिकरापारा थाना से मिली जानकारी के अनुसार मठपुरैना टिकरापारा निवासी आरोपी सिकंदर खान द्वारा उसके परिचय से आई रायगढ़ निवासिनी युवती के साथ परिचित के घर मठपुरैना में अकेली पाकर जबरिया दुष्कर्म किया। उक्त मामले में आरोपी के खिलाफ थाना टिकरापारा ने आईपीसी की धारा 376 एवं डरा धमकाकर शारीरिक संबंध स्थापित करने पर 506 के तहत मामला कायम किया है।

बिना मास्क लगाये कार चालक पर जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के निदान के लिए जिला कलेक्टर रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार धारा 144 के साथ ही बिना मास्क लगाए घूमना प्रतिबंधित है। बावजूद इसके लोग नियमों को तोड़ने को तुले हुए हैं। आजाद चौक थाने से मिली जानकारी के अनुसार विवेक बसईवाला आयु 34 वर्ष पिता महेंद्र कुमार बसईवाला मितेश अग्रवाल आयु 33 वर्ष पिता सत्यनारायण अग्रवाल निवासी चौबे कालोनी को भैसथान रोड राधा काम्प्लेक्स के सामने से कार क्रमांक सीजी 04-एचडी 0342 में गुजरते वक्त बिना मास्क लगाये ड्राइविंग के दौरान हाथ में एक बॉटल शराब लेकर घूमते हुए पकड़ा गया। उक्त मामले में आजाद चौक थाने ने महामारी अधिनियम 71 -1 एमवी एक्ट 119 /177 एवं आईपीसी की धारा 188, 269,270 एवं 34 एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।

धारा 144 का उल्लंघन कर जुआ खेलते पकड़ाया

रायपुर (आरएनएस)। लाक डाउन के दौरान जुआ पत्ती खेलने वाले सब्बूर अहमद आयु 40 वर्ष पिता अब्दुल रईश एवं अब्दुल सईद आयु 37 वर्ष निवासी दरगाह पास मौदहापारा रायपुर एवं साथियों द्वारा धारा 144 का उल्लंघन कर सार्वजनिक स्थान पर ताश पत्ती खेलते हुए थाने की टीम ने घटनास्थल से ही 500 रुपये एवं ताश पत्ती जब्त किया है। उक्त मामले में मौदहापारा थाने ने आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 13 एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है।

34 पाव देशी शराब जब्त

रायपुर (आरएनएस)। लाकडाउन के दौरान शराब की बिक्री इन दिनों बंद है। जिसका बेजा लाभ उठाकर आये दिन शराब तस्करी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। आमानाका थाने से मिली जानकारी के अनुसार गुरुप्रीत सिंह आयु 20 वर्ष पिता हरभजन सिंह एवं मनप्रीत सिंह आयु 24 वर्ष पिता हरभजन सिंह को साकुरे मुर्गी फार्म के पास टाटीबंद रोड में खुलेआम 34 पाव देशी शराब के साथ पुलिस द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया। उक्त मामले में थाने ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34-2 के तहत मामला कायम किया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480